खास-खबरें

थैलेसीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया के संबंध में स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण



उमरिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. व्ही.एस. चंदेल के निर्देशन एवं नोडल अधिकारी डॉ. मुकुल तिवारी के मार्गदर्शन में विकासखंड करकेली में थैलेसीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था पाथ से आए डॉ. विकास ठाकुर एवं अजय अवस्थी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों एवं एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में डॉ. विकास ठाकुर ने थैलेसीमिया के लक्षणों की जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों में बार-बार थकान होना, शारीरिक वृद्धि रुकना, पीलापन आना, बार-बार संक्रमण होना तथा घुटनों एवं छाती में दर्द होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर संबंधित बच्चों की थैलेसीमिया जांच कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया के तीन प्रकार गंभीर, मध्यम एवं माइनर होते हैं। उन्होंने बीमारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए विवाह पूर्व अथवा गर्भधारण से पहले जांच एवं परामर्श, नियमित उपचार और फॉलोअप की सलाह दी।

विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट एवं साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक

सिंगरौली। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैढ़न में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकारों, साइबर अपराधों तथा नालसा एवं सालसा की विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री धर्मेंद्र सोनी ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण एवं उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने ऑनलाइन पीछा करने, अश्लील संदेश भेजने एवं बच्चों की निजी तस्वीरों का दुरुपयोग करने जैसे अपराधों के प्रति सतर्क रहने की समझाइश दी।

युवा उत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

बडवानी। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित युवा उत्सव के दूसरे दिन विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. वीणा सत्य, प्रशासनिक अधिकारी डॉ. धीरज वर्मा एवं युवा उत्सव प्रभारी डॉ. सुप्रिया चौहान द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के संयोजक डॉ. श्याम नाईक ने बताया कि प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने गायन, नृत्य एवं वादन की विभिन्न विधाओं में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

घटिया स्तर खाद, बीज बेचने वालो के विरूद्ध करें सख्त कार्यवाही

किसानों को खाद और बीज सहजता से उपलब्ध कराएं : कृषि उत्पादन आयुक्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल : कृषि उत्पादन आयुक्त श्री केसी गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में खाद एवं बीज की कोई कमी नही है, किसानो को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सहजता एवं सुगमता से खाद और बीज मुहैया कराएं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में खाद और बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है इसका सभी कलेक्टर्स प्रचार प्रसार कराएं तथा किसानों को खाद का संतुलित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने संभागायुक्तो एवं कलेक्टरो को रबी सीजन में किसानो को खाद बीज की उपलब्धता सुनिष्चित करने के लिए सतत रूप से समीक्षा करने के निर्देष दिए है तथा कहा है कि किसानो को किसी भी स्थिति में खाद बीज की कमी न हो इसके सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर पुख्ता इंतजाम करें। कृषि उत्पादन आयुक्त ने आज रीवा एवं शहडोल संभाग के संभागायुक्तो कलेक्टरो, जिला पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कृषि विभाग, पषु पालन विभाग ,मत्स्य विभाग, उद्यानिकी विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देषित कर रहे थें। उन्होंने रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिष्नरो एवं कलेक्टरो को निर्देष दिए है कि किसानो को उच्च गुणवत्ता खाद , बीज एवं कीटनाशक दवाईयां उपलब्ध हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम करें एवं घटिया खाद बीज बेचने वालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता किसानों तक उच्च गुणवत्तायुक्त खाद, बीज और कीटनाषक दवाईयां पहुंचे यह होनी चाहिए। वीडियो कान्फ्रेंसिग में रीवा एवं शहडोल संभाग में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त कलेक्टरो को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के



किसानो को जागरूक करें। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी पात्र किसानो को मिलना चाहिए। वीडियो कान्फ्रेंसिग में कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी कलेक्टरो को निर्देष दिए कि वे अपने जिलो में उद्यानिकी फसलो का रकवा बढाएं। उन्होने कहा कि रीवा एवं शहडोल संभाग में उद्यानिकी फसलो का रकवा बढाने की विपुल संभावना है जिसके लिए किसानो को उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओ की जानकारी दें एवं उद्यानिकी फसलो की खेती का रकवा बढाने के लिए सतत रूप से प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा उद्यानिकी को एक उद्योग की तरह देखें और किसानो के फल सब्जी, मसालो और औषधि की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करें। वीडियों कान्फ्रेंसिग के माध्यम से पषु पालन विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडक योजना, डेयरी प्लस योजना, मुख्यमंत्री दुधारू पषु प्रदाय योजना, मुख्यमंत्री वृद्वावंद ग्राम योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त ने सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टरो को निर्देष दिए कि मध्यप्रदेष शासन द्वारा पषु पालको के लिए अभिनव योजनाएं संचालित की जा रही है। पषुपालको को इन योजनाओ का लाभ मिलना चाहिए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि आय के अतिरिक्त साधन बढाने के लिए पषु पालन के लिए किसानो का सतत रूप से प्रोत्साहित किया जाएं। उन्होंने निर्देष दिए कि चलित पषु चिकित्सा इकाईयों की गतिविधियो को सभी कलेक्टर्स सतत रूप से मॉनिटरिंग करें तथा पषु पालको को चलित पषु चिकित्सा इकाईयो की सेवाएं सतत रूप से मुहैया कराएं। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि गौषालाओ का प्राथमिकता से पंजीयन कराएं। स्व सहायता समूह को दुग्ध उत्पादन और वितरण व्यवस्था से जोडें तथा पषु मेलो को पुर्नजीवित करें एवं व्यवस्थित करें। वीडियो कान्फ्रेंसिग में कृषि उत्पादन आयुक्त ने मत्स्य पालन विभाग के योजनाओ की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में मत्स्य पालन को दुगुना करना है इस दिषा में सभी कलेक्टर्स सतत प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बाणसागर में मछली पालन एवं झिंग्गा एवं मोती पालन को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेष में मोती पालन के अपेक्षित परिणाम मिले है इसे और अधिक प्रोत्साहित करने की आवष्यकता है।

कर्मचारियों की प्रशासनिक और सेवा संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग



नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोनः जिले में शासकीय विभागों के अंतर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, कंटीन्जेंसी भृत्य तथा शिक्षक संवर्ग की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अधिकारी.कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर गुरु प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की प्रशासनिक और सेवा संबंधी विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है।

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा के दौरान कलेक्टर को बताया कि शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कंटीन्जेंसीज के कर्मचारी पिछले 30 से 32 वर्षों से अपनी निष्ठावान सेवाएं दे रहे हैं। नियमित कंटीन्जेंसीज के पद पर पदस्थ होने के कारण इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाले अर्जित अवकाश नगदीकरण का वैधानिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और ना ही पदोन्नति का। इसके अलावा मोर्चे ने मांग की है कि जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कराई जाए।

बैड़िया में कपास फसल के बीच लहलहा रहा था गांजा

खरगोन। बैडिया पुलिस ने राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक्स अभियान के तहत एक खेत में हो रही गांजे की खेती के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने कपास फसल के बीच हो रही गांजे की खेती का पर्दाफाश करते हुए 97 हजार रुपए कीमत के पौधे उखाड़ने के बाद जब्त किए है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार मुखबिर की सूचना पर ग्राम पिपरीखेडी दांगी फालिया में रामलाल के खेत में दबिश दी गई। यहां सर्चिंग के दौरान रामलाल उर्फ रामु पिता चंदर सिंह डज्ञवर खेती रखवाली करते मिला। रामलाल को हिरासत में लेकर जब खेत की सर्चिंग करने पर कपास फसल के बीच गांजे के पौधे लहलहाते नजर आए।

दीपावली पर हाट बाजार, 136 व्यापारियों को लकी ड्रॉ से दुकानों का हुआ आवंटन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा : नगर निगम इस बार भी पिछले साल की तरह दीपावली पर पदमधर पार्क में हाट बाजार लगाएगा। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और शहर के छोटे व्यापारियों को सामान बेचने के लिए जगह देने के मद्देनजर यह व्यवस्था नगर निगम रीवा द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है। हाट बाजार में मूर्तियां, प्रसाद, सजावट का सामान और दीपावली से जुड़ी दूसरी चीजों की दुकानें लगेंगी दुकान लगाने के इच्छुक व्यापारियों का नगर निगम ने पहले पंजीयन किया, फिर लकी ड्रॉ से दुकानें बांटी गईं। डिब्बे में रखी पर्चियां बच्चों के हाथों से निकलवाकर दुकानों के नंबर तय किए गए। कुल 136 पंजीकृत व्यापारियों को दुकानें आवंटित हुईं।

त्योहारों में छोटे व्यापारी अक्सर मुख्य बाजारों और सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लगा लेते हैं। इससे भीड़ बढ़ती है और पार्किंग व यातायात बिगड़ता है। पदमधर पार्क में हाट बाजार लगने से व्यापारियों को तय जगह मिलेगी, सड़कों पर अव्यवस्था कम होगी और यातायात व पार्किंग संभालना आसान होगा। लोगों को भी दीपावली की खरीदारी एक ही जगह पर करने की सुविधा मिलेगी। नगर निगम ने शहरवासियों से अपील की है कि दीपावली की खरीदारी में स्थानीय कारीगरों, छोटे व्यापारियों और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। आवंटन प्रक्रिया के दौरान उपायुक्त श्री प्रकाश द्विवेदी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री दीपक सिंह तोमर, सहायक राजस्व अधिकारी श्री नीलेश चतुर्वेदी एवं सिटी मिशन मैनेजर श्री अभिमन्यू सिंह मौजूद रहे।

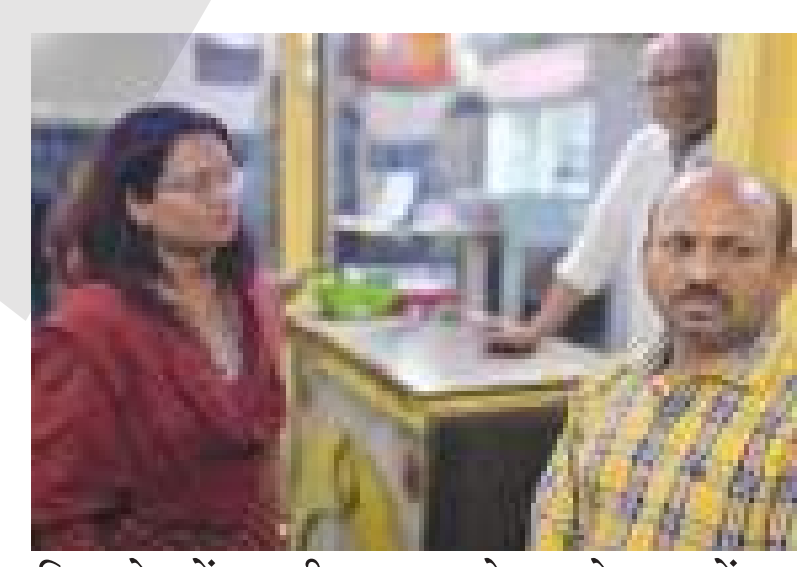
नरवाई न जलाएं तथा इससे जैविक खाद बनाएं : उप संचालक कृषि

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा : कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को धान तथा अन्य फसलों को काटने के बाद बचे हुए अवशेष (नरवाई) नहीं जलाने की सलाह दी गई है। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने कहा है कि नरवाई जलाने से एक ओर जहां खेतों में अग्नि दुर्घटना की आशंका रहती है। वहीं मिट्टी की उर्वरकता पर भी विपरीत असर पाता है। इसके साथ ही धुएँ से कार्बन डायआक्साइड की मात्रा वातावरण में जाती है जिससे वायु प्रदूषण होता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगभग 6 इंच की ऊपरी सतह पर ही होती है। इसमें खेती के लिए लाभदायक मित्र जीवाणु उपस्थित रहते हैं। नरवाई जलाने से यह नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान होता है।

दीपावली के मद्देनजर नगर पालिका परिषद गाडरवारा के बाजारों, गोदाम का निरीक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, गाडरवारा : दीपावली पर्व के मद्देनजर आम नागरिकों को पॉलिथीन का उपयोग न करने अतिक्रमण न करने एवं अपने प्रतिष्ठानों का समान रोड तक ना रखने की हिदायत दी गई एवं प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशानुसार जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में नगर पालिका गाडरवारा की संयुक्त टीम द्वारा के बंजारों दुकानों एवं गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सामग्री पाए जाने पर उसे जब्त किया गया। औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने सामग्री के भंडारण की स्थिति तथा दुकान में स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है



कि त्योहारों पर भीड़भाड़ वाले स्थलो बाजारों पर आम जनों को आने-जाने में सुविधा रहे। इसलिए अपने प्रतिष्ठानों को आगे की तरफ ना बढ़ाएं एवं दुकान का सामान अपने सीमा में ही रखें एवं पॉलीथिन का उपयोग न करें जो पूर्णत प्रतिबंधित है तथा ऐसा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुस्तकों की दुकान थी जिससे भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता था : इस कार्रवायी के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती रितु मेहरा अपनी नगर पालिका की टीम के साथ स्वयं ने मोर्चा संभाला। इस दौरान नगर पालिका से राजस्व उप निरीक्षक अमित कोष्टी एवं शहजाद बख्श स्वच्छता उप निरीक्षक संजय श्रीवास स्वच्छता पर्यवेक्षक प्रदीप मिश्रा एवं देवी राम गौहार अतिक्रमण प्रभारी प्रमोद सिंह चौहान संजय व्यास नरेश रजक शैलेंद्र शर्मा पवन तिवारी दीपक प्रजापति अर्पित तोमर आकाश व्यास चंदन रुसिया साकेत श्रीवास देवेंद्र तोमर करण खटीक आकाश पिपरैहा अमित सिमरैया अनुज घारु प्रशांत घारु आदि नगर पालिका का स्टाफ उपस्थित रहा।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

मंडल कार्यालय : झर्रा तिकुरिया प्रथम मंजिल, आस्था प्लाज़ा, , कटनी - 483501 (म.प्र.)
ईमेल - coktnsamd@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जो है'', ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:

ई-नीलामी दिनांक एवं समय -26.11.2026 सुबह11:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:00 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 25.11.2026

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) बिड वृद्धि राशि द)ई नीलामी दिनांक एवं समय
1. शाखा : कटरा बाजार सागर/ कटनी (म.प्र.) **मैसर्स पी.जी. इंडस्ट्रीज (श्रीमती हर्षा कुकरेजा पति पंकज कुकरेजा)** **पता-** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला-सागर म.प्र.	संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश भूमि एवं भवन प्लॉट नंबर 9, 10, 7 और 11 का भाग, सेक्टर एस, सिधगुआ औद्योगिक क्षेत्र, मौजा-केरबाना, सर्कल-परसोरिया, सागर, क्षेत्रफल 11056.08 वर्ग मीटर, **चतुर्सीमा: पूर्व -** प्लॉट नंबर 8 और 12, **पश्चिम -** सड़क और उसके बाद एमपीईबी सब-स्टेशन, **उत्तर -** ट्रक पार्किंग के लिए खुली जगह, **दक्षिण -** एमपीआईडीसी सर्विस रोड, **नोट:** सिधगुआ औद्योगिक क्षेत्र, सागर में प्लॉट 11 का एक हिस्सा, क्षेत्रफल 3500 वर्ग मीटर। एमपीआईडीसी द्वारा लीज पर दिया गया (डीड नंबर MP33712020A1001314, दिनांक01.01.2020), **मालिक:** श्री ज्ञानचंद कुकरेजा	अ) 26.04.2023 ब) 23.08.2023 स) सांकेतिक द) ₹3,88,75,538.18 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 3,44,58,000/- ब) 34,45,800/- स) 50,000/- द) 26.11.2026
2. शाखा : कटरा बाजार सागर/ कटनी (म.प्र.) **1. मेसर्स हरिओम ट्रेडर्स (श्रीमती पुष्पा देवी कुकरेजा), पता-** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र. **2. श्रीमती पुष्पा देवी कुकरेजा पति ज्ञानचंद कुकरेजा (प्रोप), पता-** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र. **3. श्री ज्ञानचंद कुकरेजा (जमानतदार), पता-** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र. **4. श्री राजकुमार कुकरेजा (जमानतदार), पता-** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र. **5. श्री पंकज कुकरेजा (जमानतदार), पता-** मकान नंबर 20, नरसमल गली, संत कवर राम वार्ड, जिला- सागर म.प्र.	1. व्यवसायिक भूमि एवं भवन 106/1, 106/2 पीएच नं. 77 (नया 65), क्षेत्रफल 1086.50 वर्ग फुट, वार्ड नं. 27, मौजा सागर खास, कटरा बाजार, सागर - म.प्र., **चतुर्सीमा: पूर्व-** ज्ञानचंद कुकरेजा का प्लॉट और दुकान, **पश्चिम-** सड़क, **उत्तर -** सड़क और उसके बाद पिंजमल का बाजार, **दक्षिण -** ऋषभ जैन का घर, **मालिक:** श्रीमती पुष्पा कुकरेजा 2. व्यावसायिक दो मंजिला भवन की छत पहली मंजिल की छत दो मंजिला मकान (पहली मंजिल के उपर) की खुली छत का पूरा हिस्सा, जो खसरा नंबर 106/1, 106/2, पीएच नंबर 77 (नया 65), वार्ड नंबर 27, मौजा सागर (म.प्र.) में स्थित, क्षेत्रफल 1650 वर्ग फुट, **चतुर्सीमा: पूर्व -** जैन का मकान, **पश्चिम -** पुष्पा कुकरेजा, **उत्तर -** नरेंद्र जैन का मकान, **दक्षिण -** ज्ञानचंद कुकरेजा का मकान	अ) 29.11.2023 ब) 29.01.2024 स) सांकेतिक द) ₹3,21,12,817.68 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	(1) अ)1,80,02,000/- ब) 18,00,200/- स) 25,000/- द) 26.11.2026 (2) अ) 1,33,84,000/- ब) 13,38,400/- स) 25,000/- द) 26.11.2026
3. शाखा : माधवगंज विदिशा (म.प्र.) **1. श्री प्रदीप राठौड़ पिता नन्नूलाल राठौड़ (बंधककर्ता)** **2. श्री नन्नूलाल राठौड़ पिता श्री दयाराम राठौड़ (बंधककर्ता)** **पता-** प्लॉट क्रमांक 293/294, अरिहंत विहार कॉलोनी, फेस-01, वार्ड क्रमांक 04, तहसील एवं जिला-विदिशा (म.प्र.)	1. अचल संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश मकान, प्लॉट नंबर 293, अरिहंत विहार कॉलोनी, फेज-01, वार्ड नंबर 04, तहसील और जिला - विदिशा (म.प्र.), क्षेत्रफल 111.52 वर्ग मीटर, **चतुर्सीमा: पूर्व:** प्लॉट नंबर 292, **पश्चिम:** प्लॉट नंबर 294, **उत्तर:** 25 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** प्लॉट नंबर 283 2. अचल संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश मकान, प्लॉट नंबर 294, अरिहंत विहार कॉलोनी, फेज-01, वार्ड नंबर 04, तहसील और जिला - विदिशा (म.प्र.), क्षेत्रफल - 111.52 वर्ग मीटर, **चतुर्सीमा: पूर्व-** प्लॉट नंबर, 283, **पश्चिम -** प्लॉट नंबर 294, **उत्तर -** 25 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण -** प्लॉट नंबर 283	अ) 25.05.2023 ब) 12.09.2023 स) सांकेतिक द) ₹1,57,16,847.90 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 1,21,86,000/- ब) 12,18,600/- स) 25,000/- द) 26.11.2026
4. शाखा : शहडोल रोड़, कटनी (म.प्र.) उधारकर्ताः मेसर्स प्रिया सेल्स, पार्टनर्सः **1) श्री शैलेंद्र गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 2) श्री अंकुर गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 5) श्री पीयूष गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (बंधककर्ता और जमानतदार)** पताः मेसर्स प्रिया सेल्स, अ) होटल सेलिब्रेशन के पास, गर्ग चौराहा, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.), ब) श्याम कुंज, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.)	अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश व्यवसायिक परिवर्तित उस पर निर्माण गाँव- मुरवारा, म्युनिसिपल हाउस नंबर 316, खसरा नंबर 1344/7 पी.एच. नंबर 43/45/2 एन.बी. 493 मुरवारा, गर्ग चौराहा के पास, हनुमान गंज वार्ड, वर्तमान में रघुनाथ गंज, कटनी। कुल क्षेत्रफल- 780 वर्ग फुट, निर्मित क्षेत्रफल-ग्राउंड फ्लोर क्षेत्रफल 590 वर्ग फुट, फर्स्ट फ्लोर क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट, सेकंड फ्लोर क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट, थर्ड फ्लोर क्षेत्रफल 780 वर्ग फुट, टाइटल डीड नंबर 09 दिनांक 03.04.2010, **चतुर्सीमा: उत्तर:** शहडोल रोड, **दक्षिण:** राम नारायण उर्फ राम त्रिपाठी का मकान, **पूर्वः** राम नारायण उर्फ राम त्रिपाठी की संपत्ति, **पश्चिम:** संतोष सिंह चौहान की संपत्ति	अ) 29.09.2025 ब) 31.12.2025 स) सांकेतिक द) ₹3,47,05,885.96 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ)1,94,00,000/- ब) 19,40,000/- स) 25,000/- द) 26.11.2026
5. शाखा : शहडोल रोड़, कटनी (म.प्र.) उधारकर्ताः मेसर्स प्रिया सेल्स, पार्टनर्सः **1) श्री अंकुर गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 2) श्री अंकुर गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 3) श्री पीयूष गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (बंधककर्ता और जमानतदार)**, पताः मेसर्स प्रिया सेल्स, अ) होटल सेलिब्रेशन के पास, गर्ग चौराहा, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.), ब) श्याम कुंज, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.)	बंधक अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश व्यवसायिक परिवर्तित उस पर निर्माण ग्राम- मुरवारा, नगरपालिका एच नंबर 316, ख नंबर 1344/7 पीएच नंबर 43 एन.बी. 493 मुरवारा, गर्ग चौराहा के पास, हनुमान गंज वार्ड वर्तमान में रघुनाथ गंज, कटनी, जीएफ शॉप क्षेत्र 190 वर्ग फीट, टाइटल डीड नं. 190 वर्ग फीट, **चतुर्सीमा: पूर्वः** वेंडर का गलियारा, **पश्चिम:** संतोष सिंह की संपत्ति, **उत्तर:** शहडोल रोड, **दक्षिण:** मालिक की संपत्ति		अ) 60,56,000/- ब) 6,05,600/- स) 50,000/- द) 26.11.2026
6. शाखा : शहडोल रोड़, कटनी (म.प्र.) उधारकर्ताः मेसर्स प्रिया सेल्स, पार्टनर्सः **1) श्री शैलेंद्र गौर पिता श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार), 2) श्रीमती शकुंतला गौर उर्फ शकुंत गौर पति श्री श्याम सुंदर गौर (पार्टनर, बंधककर्ता और जमानतदार)** पताः मेसर्स प्रिया सेल्स, अ) होटल सेलिब्रेशन के पास, गर्ग चौराहा, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.), ब) श्याम कुंज, हनुमान गंज, कटनी -483501 (म.प्र.)	1. अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश परिवर्तित भूमि उस पर गांव खिरहानी, डायवर्जन ख 1486, म्यूटेशन के बाद खसरा नंबर 1486/6, एन.बी. नंबर 407, पी.एच. नंबर 44, मंडल मुरवारा कटनी, क्षेत्रफल 0.004 हेक्टेयर (480 वर्ग फुट), टाइटल डीड नंबर 2742, जो 29.09.1995 को रजिस्टर्ड, **चतुर्सीमा: उत्तर:** 20 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** गणेश, बड़गैयां की संपत्ति, **पूर्वः** विक्रेता की संपत्ति, **पश्चिम:** संतोष तिवारी की संपत्ति 2. अचल संपत्ति के समस्त भू-भाग व अंश परिवर्तित भूमि उस पर ग्राम खिरहनी, ख नं 1484/2/2, डायवर्सन ख 1484/2/ख, एनबी नं 407, पीएच नं.44, मंडल मुरवारा कटनी, क्षेत्रफल 0.050 हेक्टेयर, स्वामित्व विलेख सं. 2281 दिनांक 25.08.1995, **चतुर्सीमा: उत्तर:** श्रीमती सीतादेवी चौदाहा की भूमि, **दक्षिण:** श्रीमती कुसुमबाई बडगैयाँ की भूमि, **पूर्व:** धनीराम बडगैयाँ और गोपाल गुप्ता की भूमि, **पश्चिम:** प्रेमलाल पांडे की भूमि		अ)37,74,000/- ब) 3,77,400/- स) 25,000/- द) 26.11.2026

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्ते : (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। **(2)** संपत्तियों की बिक्री **''जो है, ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार** पर होगी। **(3)** ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **(4)** विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। **(5)** संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें।

स्थानः कटनी, दिनांक 03.11.2026 **पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी**

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना रीवा क्लस्टर की मॉनिटरिंग सेल की बैठक संपन्न

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा : एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना रीवा क्लस्टर की मॉनिटरिंग सेल की बैठक निगमायुक्त श्री अक्षत जैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सतना निगमायुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, संयुक्त संचालक श्री हिमांशु भट्ट, कार्यपालन यंत्री श्री हरिशंकर मिश्रा मौजूद रहे। रीवा क्लस्टर के 28 नगरीय निकायों के सीएमओ एवं प्रतिनिधि तथा रैमकी और आईई की टीम बैठक में शामिल हुए।

निगमायुक्त ने कई निकायों में कचरा कलेक्शन और निस्तारण ठीक से नहीं होने पर नाराजगी जताई और सीएमओ को फटकार लगाते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएमओ इस काम को लेकर उदासीन न रहें। कचरे का समय पर निस्तारण नहीं होने से वह जमा होकर लेगेसी वेस्ट बन रहा है, जिसे बाद में हटाना मुश्किल होता है।

निगमायुक्त ने प्रेजेंटेशन के जरिए रैमकी कंपनी के साथ हुए अनुबंध की शर्तों और सेवा संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस निकाय में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शत-प्रतिशत नहीं हो रहा, वहां कंपनी को उतना ही भुगतान किया जाए जितनी सेवा वास्तव में दी गई है। निकाय यह भी देखें कि तय क्षेत्रों में कंपनी नियमित सेवा दे रही है या नहीं। वाहनों के रखरखाव में लापरवाही, कचरा से लैंडफिल निर्माण, कचरा उठाव न होना आदि पर अनुबंध के अनुसार पेनाल्टी लगाई जाएगी। रैमकी के प्रतिनिधियों को भी अनुबंध के अनुसार सभी सेवाएं समय पर और पूरी तरह देने के निर्देश दिए गए।

वाहनों की संख्या वर्ष 2026 की अनुमानित जनगणना के अनुसार तय करने और सात वर्ष से पुराने वाहनों को तुरंत बदलने के निर्देश दिए। सीएमओ अपने यहां वाहनों का रजिस्ट्रेशन और स्थिति जांचेंगे। सात वर्ष से अधिक ओवरड्यू वाहन पहले बदले जाएंगे, बाकी चरणबद्ध तरीके से। मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था की भी समीक्षा हुई और डिस्पोजल फैसिलिटी की क्षमता बढ़ाने को कहा गया।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का शिविर अब 13 नवम्बर को होगा आयोजित

अनुपपुर। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेशभर में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 का संचालन 8 जनवरी 2027 तक किया जा रहा है। इसी क्रम में अनूपपुर जिले में 6 नवम्बर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का शिविर स्थगित कर अब 13 नवम्बर 2026 को आयोजित किया जाएगा।

शिविर का आयोजन जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत सामुदायिक भवन, डूमरकछार, वार्ड क्रमांक 9 में किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित क्षेत्र के नागरिकों से निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित होकर अभियान का लाभ लेने की अपील की गई है।

बुजुर्गों को मिलेगा घर जैसा सहारा, खंडवा में 16 बेड के 'सीता राम अपना घर' वृद्धाश्रम का शुभारंभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, खंडवा : उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपनों के साथ और सम्मान की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में निराश्रित और जरूरतमंद बुजुर्गों को सहारा देने के उद्देश्य से शहर में 'सीता राम अपना घर' वृद्धाश्रम की शुरुआत की गई है। कसेरा ताम्रकार समाज और समाजसेवियों के संयुक्त प्रयासों से तैयार 16 बेड के इस सर्वसुविधायुक्त वृद्धाश्रम का विधिवत लोकार्पण किया गया।

समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि इस पहल में कसेरा ताम्रकार समाज के अध्यक्ष आदेश वर्मा, आनंद कुमार वर्मा, आकाश वर्मा, गोवर्धन दास वर्मा और बालाजी ग्रुप के संस्थापक एवं समाजसेवी रितेश गोयल की प्रमुख भूमिका रही।

सिर्फ आश्रय नहीं, सम्मान के साथ जीवन देने की पहलः आश्रम प्रबंधन की ओर से रितेश गोयल ने बताया कि वृद्धाश्रम का उद्देश्य जरूरतमंद और निराश्रित बुजुर्गों को घर जैसा पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराना है। यहां



बुजुर्गों के भोजन और स्वास्थ्य से लेकर उनकी दैनिक जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। प्रत्येक निवासी को नियमित रूप से शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इसके साथ ही साल में दो बार नए वस्त्र उपलब्ध कराए जाएंगे। समाजसेवी सुनील जैन वर्मा परिवार को बधाई देते हुए बताया कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डॉक्टरों का नियमित परामर्श और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था रहेगी। उम्र के साथ होने वाले जोड़ों और हाथ-पैर के दर्द से राहत दिलाने के लिए फिजियोथेरेपी एवं दर्द निवारक मशीनें भी स्थापित की गई हैं।

जनप्रतिनिधियों ने सराहा सेवा का प्रयासः सुनील जैन ने बताया कि वृद्धाश्रम सीताराम अपना घर लोकार्पण समारोह में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक कंचन मुकेश तनवे और जनपद पंचायत छैगांव माखन के अध्यक्ष महेंद्र सावनेर सहित अन्य अतिथि उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद बुजुर्गों को आश्रय, देखभाल और सम्मान देना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस तरह के सेवा कार्य सामाजिक संवेदनशीलता को मजबूत करते हैं।

कार्यक्रम में आयोजक आदेश वर्मा परिवार के सदस्यों के अलावा समाजसेवी सुनील जैन, बालाजी ग्रुप के सुनील मालवीय, अर्पित पुरी, चक्रेश भावसार, सामाजिक कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

'सीता राम अपना घर' के रूप में शुरू हुई यह पहल उन बुजुर्गों के लिए सहारे का केंद्र बनने की उम्मीद है, जिन्हें जीवन के इस पड़ाव पर देखभाल और अपनत्व की जरूरत है।